प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1. जिला:–ए.सी.बी. चौकी कोटा थाना.... प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर
प्र0सू0रि0संख्या 179/22 दिनांक 11/5/22
2. (1) अधिनियम– भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 धारायें – 7,7ए
(2) अधिनियम– ...भारतीय दण्ड संहिता 1860 धारायें – 120बी
(3) अधिनियम..धारायें –..............................
(4) अन्य अधिनियम धारायें..
3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या 236 समय 6:20 pm
(ब) अपराध घटने का दिन ... मंगलवार दिनांक......10.05.2022...समय 06.24 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की ....दिनांक..... 06.05.2022...समय 11.40 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/ मौखिक – टाईपशुदा रिपोर्ट
5. घटना स्थल:–
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उत्तर व 40 किलोमीटर
(ब) पता:– मेवाड केसरी रेस्टोरेंट बूंदी
जरायम देही संख्या.....................
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना – सदर जिला बूंदी
6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:– मोहम्मद शाहिद हुसैन
(ब) पिता का नाम – श्री शबराती
(स) जन्म तिथी/वर्ष........ उम्र 33 वर्ष
(द) राष्ट्रीयता.– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या...जारी होने की तिथी...............
जारी होने की जगह...
(र) व्यवसाय– ठेकेदार
(ल) पता– धोबी वाली गली, गुरू नानक कोलोनी, बून्दी
7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्योरा सम्पूर्ण विशिष्ठियों सहित :–
1 – श्री पवन राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी– खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड, बून्दी
2– श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बून्दी
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने मे विलम्ब का कारण:–............................... शून्य
9. चुराई हुई लिप्त सम्पत्ति की विशिष्ठियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्तियों का कुल मूल्य.....11,500/– रूपये.................................
11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो)...
12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्नालगायें) :–

प्रकरण के हालात इस प्रकार है कि दिनांक 06.05.2022 समय 11.40 ए.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन पुत्र श्री शबराती जी जाति मुसलमान उम्र 33 साल निवासी धोबी वाली गली, गुरू नानक कोलोनी, बून्दी ने कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों कोटा मे उपस्थित होकर श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि – प्रार्थी गुरूनानक कोलोनी बून्दी का रहने वाला हूं। मैं जलदाय विभाग में मेरी फर्म मोहम्मद शाहिद हुसैन, कॉन्टेक्टर के नाम सें कार्य लेकर ठेकेदारी का कार्य करता हूं। मैने मेरी फर्म के जरिये बून्दी शहर में परकोटे के अन्दर

HDPE 110MM/90MM पाईप लाईन जोडने एवं बिछाने तक रोड रिपेयरिंग कार्य मय सामग्री का कार्य 4 लाख 80 हजार रूपये का 18.18 प्रतिशत बिलो में लिया था। जिसको मेरे द्वारा पूर्ण कर लिया गया। जब बिल बनाने के लिए मैने जलदाय विभाग [PHED] में जे.ई.एन. पवन कुमार सें बात की तो उसने एम.बी. भरने तथा मेरे बिल बनाने व पास करने की एवज में मुझसें 30,000 रूपये की मांग की, मैने उनसें कहा कि आपके कहेनुसार मैने काम कर दिया तथा आप मेरा बिल पास कर दो बिल पास होने के बाद देखुंगा, इस पर जे.ई.एन. पवन कुमार ने कहा कि ठीक है में बिल बना देता हू इसके बाद पेमेन्ट कर देना तथा ये रकम मेरे अकेले की ही हैं इसमें सें मैं ए.ई.एन साहब को नहीं दूंगा उनसें तुम ही बात कर लेना। इसके बाद मैने श्री राजेन्द्र जी जे.ई. एन. (अतिरिक्त चार्ज ए.ई.एन.) सें भी मिला तो उन्होने मुझे बिल पास करवाने एवं हस्ताक्षर करने के नाम पर बिल की राशि के 2 प्रतिशत के हिसाब सें रूपये देने के लिए कहा। इसके कुछ समय बाद पवन कुमार जी ने मेरा 2,89,846 का चेक मुझे दिया तथा कहा कि अब मेरा कमिशन का पेमेन्ट कर दो तो मैने उनको कहा कि बाकी का बिल बनाओ में एक दो दिन में आपका पेमेन्ट कर दूंगा। मैं श्री पवन कुमार जे.ई.एन. एवं श्री राजेन्द्र जी जे.ई.एन. (अतिरिक्त चार्ज ए.ई. एन.) को मेरे जायज काम के बदले में रिश्वत नहीं देना चाहता हूं तथा उनको रिश्वत लेते हुये रंगे हाथों पकडवाना चाहता हूँ। इस पर श्री ठाकुर चन्द्रशील कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन पुलिस निरीक्षक को अपने कक्ष मे बुलाया तथा वहाँ उपस्थित परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन से परिचय करवाया तथा परिवादी द्वारा पेश एक टाईपशुदा प्रार्थना पत्र मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर अग्रिम कार्यवाही के निर्देश प्रदान किए। इस पर मन पुलिस निरीक्षक ने परिवादी मौहम्मद शाहिद से मजीद दरयाफ्त की तथा परिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया, मजीद दरयाफ्त पर परिवादी ने बताया कि यह शिकायत प्रार्थना पत्र कोटा मे कोर्ट के पास कम्प्यूटर की दुकान से टाईप करवाकर लाया हूँ। परिवादी की शिकायत एंव मजीद दरयाफ्त सें मामला रिश्वत लेन–देन का होने से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की परिधि मे आना पाये जाने सें गोपनीय सत्यापन करवाने हेतु कार्यालय के मालखाने सें सरकारी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर निकलवाया जाकर उसें चालु एंव बन्द करने की विधि परिवादी मोहम्मद शाहिद हुसैन को समझाकर डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर परिवादी को सुपुर्द कर हिदायत दी गई की उसकी आरोपीगण राजेन्द्र जेईएन एवं पवन जेईएन के मध्य होने वाली रिश्वत संबन्धी वार्ता को रिकॉर्ड कर लावे। परिवादी का परिचय श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305 से करवाया तथा गोपनीय सत्यापन की निगरानी हेतु श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 को परिवादी के साथ बून्दी शहर के लिए रवाना होने की हिदायत की गई। फर्द सुपुर्दगी डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर बनाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। समय 12.10 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन मय डिजीटल वाईस रिकार्डर व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 को निजी प्राईवेट वाहन कार से कार्यालय जेईएन पीएचईडी बूंदी के लिए रवाना किया गया। समय 5.30 पी.एम. पर परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन व श्री नरेन्द्र सिंह कानि. बाद रिश्वत मांग सत्यापन कार्यालय में उपस्थित आये। परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मन पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द किया। जिसकी फर्द प्राप्ति डिजीटल वाईस रिकार्डर पृथक से बनायी। परिवादी ने दरयाफ्त पर बताया कि हम दोनों यहां सें रवाना होकर बून्दी बस स्टेण्ड पर पहुंचे, जहॉ मैने मेरी मोटरसाईकिल ली तथा बस स्टेण्ड से मै मोटरसाईकिल से रवाना होकर हम बून्दी मे बहादुर सिह सर्कील पर स्थित पी.एच.ई.डी. कार्यालय के बाहर पहुंचा तथा श्री नरेन्द्र सिंह जी मेरे पीछे–पीछे कार से आ गये थे, जो बाहर ही रूक गये। डिजीटल रिकॉर्डर चालु कर में श्री पवन, जेईएन सें बात करने के लिए कार्यालय में अन्दर गया। वहां पर श्री पवन कुमार जेईएन. के पास दो अन्य व्यक्ति भी बैठे हुये थे जो अपने कार्य के संबन्ध में श्री पवन सें बातें कर रहे थे मैं भी उनके पास बैठ गया। करीबन 40–45 मिनट तक वे लोग जेईएन व मुझ सें उनके कार्य के संबन्ध में बातें एवं हंसी मजाक करने के बाद वंहा सें रवाना हुये उनके जाने के बाद मैने जेईएन पवन से बात की तो उन्होने मेरे कार्य के दो लाख नैवासी हजार रूपये के बिल के 4 प्रतिशत के हिसाब सें 11,500 रूपये जोडकर बताये तथा उसी समय देने के लिए कहा मैने कहा की दोनों बिल एक साथ ही बना दो तो दोनों का एक साथ ही दे दूंगा। इस पर पवन ने कहा कि इस बिल का तो पहले दे दो ताकि बाद वाला बिल भी जल्दी बना दूंगा मैने दूसरे बिल के बारे में पूछा कि वो कितना बनेगा तो उसने कहा कि एईएन कार्यालय चलते हैं उसको भी आपके सामने ही बना देते हैं तथा इसके बाद हम दोनों वंहा सें मोटरसाईकिल सें रवाना होकर कोलेज के सामने वाले एईएन कार्यालय के लिये रवाना हुये तथा हमारे पीछे–पीछे श्री नरेन्द्र सिंह जी भी इनके वाहन सें हमारे पीछे–पीछे रवाना हो गये थे। मैं व श्री पवन जी कार्यालय के अन्दर चले गये थे, वहां पर कार्यालय स्टाफ तथा कुछ ठेकेदार बैठे हुये थे, उनसें बातें करने के बाद उन्होने मुझे कार्यालय के बाहर जूस लेने के लिए भेजा जब मैं कार्यालय सें बहार आया तो मुझे सामने

सें कार सें श्री राजेन्द्र जी, जेईएन, अतिरिक्त चार्ज एईएन दिखाई दिये मैने उनसें मेरे कार्य के बिल बनाने के संबन्ध में बात की तो उन्होने पहले तो पवन के लिए कहा कि आजकल वो बहुत पैसे ले रहा हैं तथा फिर मेरे कार्य व बिल के संबन्ध में वार्ता करने के बाद उन्होने कहा कि मेरे (ए.ई.एन.) के तो दो परसेंट बनते हैं तेरा बिल कितने का हैं, तो मैने कहा कि ये ही अभी वाला तो तीन लाख करीबन का हैं तो उन्होने कहा कि दो परसेंट के हिसाब सें 6 हजार रूपये बनते हैं तुम पांच हजार रूपये दे देना, इत्यादि वार्ता होने के बाद मैं ज्यूस लेने के लिए आ गया था तथा कार्यालय सें थोडी दूर स्थित ज्यूस की दुकान पर श्री नरेन्द्र सिह जी मिल गये थे, जिनसें वार्ता कर मैं वापिस जूस लेकर कार्यालय में गया तथा कुछ देर उनसें बाते करके वापस नरेन्द्र जी के पास आ गया था तथा इनको मेरे व पवन व राजेन्द्र के मध्य हुई वार्ता के संबन्ध में बताया था तथा इसके बाद हम दोनों वंहा सें रवाना होकर इस कार्यालय में आये। श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी के कथनों की ताईद की तथा बताया कि रिश्वत मांग सत्यापन कार्यवाही का यथासंभव निकट रहकर निगरानी की तथा बाद रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के बूंदी से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आए। इस समय परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन द्वारा पेश डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालु कर मुख्य अंश मन पुलिस निरीक्षक द्वारा सुना गया, तो आरोपीगण द्वारा स्पष्ट रिश्वत की मांग के संबंध मे परिवादी द्वारा कहे गये कथनों की ताईद हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मालखाना मे सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी ने कहा कि दिनांक 08.05.2022 को मेरा दूसरा बिल बन जायेगा तथा मैं भी रिश्वत में दिये जाने वाले पैसों की व्यवस्था कर लूंगा। इस पर परिवादी को दिनांक 08.05.2022 को रिश्वत में दी जाने वाले रकम सहित प्रातः 7.00 एम.एम. पर कार्यालय में आने की हिदायत कर रवाना किया। ट्रेप कार्यवाही के संबंध मे स्वतंत्र गवाहान की आवश्यकता होने से दिनांक 08.05.2022 को श्री नवनन्द सिंह तहसीलदार, तहसील लाडपुरा से जर्ये मोबाईल श्री दिलीप सिंह, वरिष्ठ सहायक द्वारा सूचित कर दिनांक 09.05.2022 को प्रातः 7.00 ए.एम. पर कार्यालय अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो कोटा में दो कर्मचारी भिजवाने हेतु कहा तो उन्होने कार्मिक श्री मुकेश चावडा हाल सूचना सहायक तथा श्री महेश चित्तौडा हाल कनिष्ठ लेखाकार को पाबन्द कर भिजवाना बताया। दिनांक 09.05.2022 समय 7.15 ए.एम. पर श्री मुकेश चावडा पुत्र श्री बंशीलाल चावडा उम्र 39 साल जाति बंजारा निवासी– मकान नम्बर– 5 ई 12 महावीर नगर विस्तार योजना थाना दादाबाडी, कोटा हाल सूचना सहायक कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा, कोटा मोबाईल नम्बर–9782142561 तथा श्री महेश चित्तौडा पुत्र स्वं. श्री कैलाशचंद चित्तौडा जाति महाजन उम्र 32 साल निवासी– मकान नम्बर– 558, सैक्टर 4 केशवपुरा थाना महावीर नगर, कोटा हाल कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय तहसीलदार तहसील लाडपुरा, कोटा मोबाईल नम्बर–9166167195 कार्यालय हाजा में उपिस्थत आये तथा परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन कार्यालय मे मय रिश्वत में दी जाने वाली राशि 11500/रूपयों सहित उपस्थित आया, परिवादी ने बताया कि मेरे पास केवल पवन जेईएन को देने वाले 11500/रूपयों की ही व्यवस्था हुई है, अन्य व्यवस्था नहीं हो पायी है। इस पर परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन व दोनों स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया गया तथा दोनों कार्मिकों श्री मुकेश चावडा हाल सूचना सहायक, श्री महेश चित्तौडा हाल कनिष्ठ लेखाकार सें ट्रेप कार्यवाही में बतौर स्वतंत्र गवाह उपस्थित रहने की सहमति चाही तो दोनो ने सहमति व्यक्त की, इस पर जिस पर परिवादी द्वारा पेश किया गया प्रार्थना पत्र उन्हे दिखाया तथा पढवाकर प्रार्थना पत्र पर उनके हस्ताक्षर करवाये गये। सरकारी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मालखाने सें निकलवाकर रिकॉर्डर को श्री नरेन्द्र सिंह कानि. सें लेपटोप में लगावाया जाकर, दिनांक 06.05.2022 को रिकॉर्ड हुई रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता को स्पीकर चालु कर गवाहान व परिवादी को सुनाया गया। रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता की श्री नरेन्द्र सिह कानि नं. 305 सें फर्द ट्रांसक्रिप्ट नियमानुसार तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

इसके पश्चात स्वतंत्र गवाहान के समक्ष परिवादी मो0 शाहिद हुसैन पुत्र श्री शबराती जाति मुसलमान उम्र 33 साल निवासी गुरूनानक कॉलोनी धोबी वाली गली थाना कोतवाली बून्दी ने आरोपी पवन कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत में दी जाने वाली राशि भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 23 नोट कुल 11500/– रूपये अपने पास से मन् पुलिस निरीक्षक को पेश किये जिनके नम्बर फर्द पर अंकित किए गए। श्रीमति सरोज म.कानि. नं. 104 से मालखाना से फिनोंफ्थलीन पावडर की शीशी निकलवाकर उक्त नोटों को एक अखबार के ऊपर रखकर उन पर सावधानी पूर्वक फिनोफथलीन पावडर लगवाया गया ताकि पावडर की उपस्थिति प्रभावी किन्तु अदृश्य रहे। परिवादी श्री मो0 शाहिद हुसैन की तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चावडा से लिवाई गई। परिवादी के पास उसके पहने हुए वस्त्रों एवं मोबाईल के अलावा अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। रिश्वत में दिये जाने वाले पाउडर लगे हुये ग्यारह हजार पांच सौ रूपये

(11500/—रूपये) परिवादी के पहने हुई पेन्ट की सामने की दांयी जेब मे श्रीमति सरोज म.कानि. नं. 104 से रखवाये गये। इसके बाद एक कॉच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेंट पावडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग रंगहीन रहा। उक्त रंगहीन घोल में श्रीमति सरोज म.कानि. नं. 104 के हाथ की उंगलियों को डालकर धुलवाया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रक्रिया व दृष्टांत को गवाहान् एवम् परिवादी को समझाया गया कि संदिग्ध व्यक्ति इन नोंटों को अपने हाथ से ग्रहण करेगा या छुयेगा तो उसके हाथ सोडियम कार्बोनेंट के घोल में धुलवाने पर घोल का रंग गुलाबी हो जायेगा। जिस अखबार पर रखकर रिश्वत में दी जाने वाली राशि/नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था उस अखबार को जलाकर नष्ट करवाया गया व घोल को बाहर फिंकवाया गया। फिनोफ्थलीन पावडर की शीशी वापस मालखाने में रखवायी गई, दृष्टांत की कार्यवाही मे प्रयुक्त किया गया गिलास कार्यालय मे ही छोडा तथा श्रीमति सरोज म.कानि. नं. 104 को कार्यालय मे उपस्थित रहने की हिदायत दी।

ट्रेप कार्यवाही में काम में आने वाले गिलास व शीशियों को साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाये गये। परिवादी को हिदायत दी गई कि उक्त नोटो को रास्ते में अनावश्यक रूप से नहीं छुयें एवं आरोपी द्वारा मांगने पर ही रिश्वत राशि देवें तथा रिश्वत राशि व स्वयं के कार्य के संबंध मे स्पष्ट वार्ता करे तथा रिश्वत देने के बाद अपने सिर पर दोनो हाथ फेरकर इशारा करे। दोनो स्वतंत्र गवाहान को भी समझाया की रिश्वत के लेनदेन को यथासंभव निकट रहकर देखने व सुनने का प्रयास करें। डिजीटल टेप रिकार्डर परिवादी श्री मो0 शाहिद हुसैन को दिया जाकर चालू व बंद करने का तरीका पुनः समझाया गया तथा रिश्वत के लेनदेन की वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु समझाईश दी। फर्द दृष्टांत नियमानुसार तैयार की जाकर शामिल पत्रावली की गई।

समय 12.23 पी.एम. पर परिवादी शाहिद हुसैन ने बताया कि उसके पास उसके परिचित जुनैद का कॉल आया है, जिसने बताया कि पवन जेईएन का मोटरसाईकिल से एक्सीडेन्ट हो गया है, इस पर परिवादी ने उसके मोबाईल नम्बर 8209923562 से आरोपी पवन जेईएन के मोबाईल नम्बर 8209236332 पर कॉल कर वार्ता की तो आरोपी ने बताया कि उसका मोटरसाईकिल से एक्सीडेन्ट हो गया है तथा ज्यादा नहीं लगी है तथा दिन मे कॉल कर मिलने आने के लिए कहा। इस पर समय 12.30 पी.एम. पर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री योगेन्द्र कानि0 282, को मय सरकारी वाहन बोलेरो मय चालक श्री हेमन्त सिह कानि0 653 के बून्दी के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चावडा, श्री महेश चितौडा, परिवादी श्री मो0 शाहिद हुसैन तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों श्री नरेन्द्र सिह कानि. नं. 305, श्री भरत सिंह कानि. 515, श्री मनोज शर्मा कानि. 211 के मय लेपटोप, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में आने वाले आवश्यक उपकरणों सहित प्राईवेट वाहन से बून्दी के लिए रवाना हुआ। समय 01.25 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाह व परिवादी तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों के रवानाशुदा रेल्वे स्टेशन बून्दी के पास पहुंचा। आरोपी पवन जेईएन से मिलने के संबंध मे परिवादी के मोबाईल नम्बर 8209923562 से आरोपी पवन जेईएन के मोबाईल नम्बर 8209236332 पर वार्ता करवायी तो आरोपी ने मिलने के बारे मे शाम को कॉल कर बताने के लिए कहा। परिवादी ने बताया कि पवन जेईएन अब उसे देर शाम को ही कॉल करेगा या कल सुबह कॉल करेगा। गोपनीयता भंग होने का अंदेशा होने से मन् पुलिस निरीक्षक मय उक्त हमराहीयान के बूंदी से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुॅचा तथा आरोपी पवन जेईएन के परिवादी के मोबाईल पर कॉल आने के इंतजार मे कार्यालय मे मुकिम रहे। समय 7.00 पीएम तक परिवादी के पास आरोपी पवन जेईएन का कोई कॉल नही से परिवादी के पास रखी हुई रिश्वती राशि 11500/— रूपये गवाह श्री मुकेश चावडा से निकलवाकर एक सफेद लिफाफे मे रखकर मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304 को सुपुर्द कर सुरक्षित मालखाने मे रखवायी गयी तथा परिवादी से डिजीटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर सुरक्षित रखवाया गया। परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर आरोपी पवन जेईएन का कॉल आने पर तुरंत मन् पुलिस निरीक्षक को सूचित करने की हिदायत कर रूकसत किया गया। कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाहान को कल दिनांक 10.05.2022 समय 9.30 ए0एम0 पर कार्यालय मे उपस्थित आने की आवश्यक हिदायत कर रूकसत किया गया।

दिनांक 10.05.2022 समय 09.30 ए.एम.पर पाबन्दशुदा कार्यवाही के दोनो स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चांवडा तथा महेश चितौडा कार्यालय हाजा उपस्थित आयें। समय 10.40 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक को श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 ने बताया कि परिवादी श्री

मो0शाहिद हुसैन का कॉल मेरे मोबाईल पर आया, जिसने बताया कि आरोपी पवन जेईएन का उसके पास मोबाईल पर कॉल आया, जेईएन ने उसे मिलने के लिए दोपहर बाद बुलाया है। इस पर परिवादी से नरेन्द्र सिह कानि0 के मोबाईल पर वार्ता कर परिवादी को करीब 12.15 पी0एम0 पर बून्दी रेल्वे स्टेशन के आस पास मिलने की हिदायत की। समय 11.20 ए.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक ने मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304 से मालखाना खुलवाकर मालखाने मे रखी हुई रिश्वत राशि 11500/– रूपये का लिफाफा गवाह श्री मुकेश चांवडा से निकलवाकर उसके पास सुरखित रखवाया गया तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर निकालकर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को देने हेतु स्वयं के पास सुरक्षित रखा। समय 11.30 पीएम पर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304, श्री योगेन्द्र कानि0 282, को मय प्राईवे वाहन के बून्दी के लिये रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया मय स्वतंत्र गवाहान श्री मुकेश चावडा, श्री महेश चितौडा, तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों श्री नरेन्द्र सिंह कानि. नं. 305, श्री भरत सिंह कानि. 515, श्री मनोज शर्मा कानि. 211 के मय लेपटोप, प्रिन्टर, ट्रेप बॉक्स व ट्रेप कार्यवाही में आने वाले आवश्यक उपकरणों सहित प्राईवेट वाहन से रवाना होकर रेल्वे स्टेशन के पास बून्दी पहुॅचा। जहां पर पूर्व का पाबन्दशुदा परिवादी मो0 शाहिद हुसैन उपस्थित मिला, परिवादी ने बताया कि मेरे मोबाईल नम्बर 8209923562 पर आरोपी पवन जेईएन के मोबाईल नम्बर 8209236332 से करीब 10.33 एएम पर कॉल आया था, जिसमे जेईएन ने मुझे बुलाया ओर उनका काम करने के लिए कहा ओर वो मुझे मिलने के लिए बुला रहे है, हमारे बीच हुई वार्ता को मैने मेरे मोबाईल के कॉल रिकार्डर मे रिकार्ड कर लिया है। इस पर आरोपी से मिलने के स्थान के बारे मे पुछने हेतु समय 12.35 पर परिवादी ने मोबाईल नम्बर 8209923562 से आरोपी पवन जेईएन के मोबाईल नम्बर 8209236332 कॉल की तो आरोपी पवन ने बाहर होना बताया तथा थोडी देर मे वापस कॉल करना बताया। इसके बाद उक्त नम्बर पर पुनः 12.58 पीएम पर पुनः वार्ता करवायी तो आरोपी पवन जेईएन ने शाम को तीन–चार बजे तक बूंदी आना व उसके बाद कॉल करना बताया। आरोपी द्वारा परिवादी को तीन चार बजे बाद मिलने के लिये कहा है इसलिये ट्रैप पार्टी की उपस्थिति छुपाने हेतु ट्रैप पार्टी सदस्य, गवाहान, परिवादी के गोपनीय स्थान पर मुकीम रहा। समय 05.01 पी.एम. आरोपी पवन जेईएन के मोबाईल नम्बर 8209236332 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8209923562 पर कॉल आया, आरोपी पवन ने परिवादी मो0 शाहिद हुसैन को पन्द्रह बीस मिनिट बाद फोन करके मिलने के लिये कहा। इस पर स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चांवडा के पास रखे लिफाफे मे से रिश्वत राशि 11500/– रूपये निकलवाकर, परिवादी श्री मो0 शाहिद हुसैन की पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बांयी जेब मे रखवायी तथा डिजीटल वाईस रिकार्डर परिवादी को सुपुर्द किया तथा आरोपी से होने वाली वार्ता को रिकार्ड करने की समझाईश की। रिश्वत राशि रखने के लिए काम मे लिया गया लिफाफा गवाह श्री मुकेश चांवडा से जलवाकर नष्ट करवाया तथा गवाह श्री मुकेश चांवडा के दोनों हाथ साबुन पानी से दो बार अच्छी तरह से धुलवाये गए। इसके पश्चात आरोपी पवन के कॉल के इंतजार मे मुकिम रहें। श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक, श्री दिलीप सिह व0लि0, श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री योगेन्द्र कानि0 282, को मय प्राईवेट वाहन से कार्यवाही होने के पश्चात् सूचित करने पर दूसरे आरोपी राजेन्द्र जेईएन के बारे मे डिटेन कर लाने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता पीएचईडी उपखण्ड बून्दी के लिये रवाना किया गया।

समय 06.03 पी.एम. आरोपी पवन जे.ई.एन. के मोबाईल नम्बर 8209236332 से परिवादी के मोबाईल नम्बर 8209923562 पर कॉल आया, ओर आरोपी पवन ने परिवादी को लंका गेट के पास घर आकर मिलने के लिये कहा, वार्ता को परिवादी के मोबाईल के कॉल रिकार्डर पर रिकार्ड की गई। इस पर परिवादी को आगे आगे उसकी मोटरसाईकिल से श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 के साथ रवाना कर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी मय ट्रैप सामग्री के प्राईवेट वाहन से पीछे पीछे रवाना हुआ। समय 06.15 पी.एम. पर आगे–आगे चल रहे परिवादी शाहिद हुसैन व नरेन्द्र सिंह मोटरसाईकिल से पुराना बायपास रोड पर धानमण्डी रोड से पहने रूके, परिवादी ने नरेन्द्र सिंह को मोटरसाईकिल से उतारा तथा परिवादी रोड पर आगे रवाना होकर पास ही बने मेवाड केसरी रेंस्टोरेंट पर रूका। श्री नरेन्द्र सिंह कानि0 305 ने बताया कि रास्ते मे आरोपी पवन जेईएन का दो बार परिवादी के पास कॉल आया था, जिसमे पहली बार उसने पम्प हाउस पर मिलने के लिए कहा उसके बाद के कॉल मे आरोपी ने परिवादी को मेवाड केसरी रेस्टोरेंट पर मिलने के लिए कहा है। जिस मन पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता व स्वतंत्र गवाहान के प्राईवेट वाहन से उतरकर मेवाड केसरी रेस्टोरेंट के आस–पास परिवादी के ईशारे के इंतजार मे आस–पास मुकीम रहा। समय 06.24 पी.एम.

पर रूबरू गवाहान के समक्ष मेवाड केसरी रेस्टोरेन्ट में बाहर की तरफ कुर्सी पर बैठे हुये परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन ने अपनी केप उतार कर अपने सिर पर हाथ फेरकर आरोपी द्वारा रिश्वती राशी प्राप्ति का पूर्व निर्धारित इशारा किया जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक अजीत बगडोलिया, दोनों स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चावडा व श्री महेश चित्तौडा ट्रेप पार्टी के सदस्य श्री भरत सिह कानि. नं. 515, श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 एवं श्री मुकेश सैनी, कानि. नं. 71 के पैदल चलकर परिवादी के पास पहुंचे। कानि. श्री नरेन्द्र सिह ने परिवादी सें डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर बन्द कर सुरक्षित अपने पास रखा। परिवादी ने अपने पास बैठे हुये व्यक्ति की ओर इशारा कर कहा कि ये ही पवन जी जेईएन हैं जिन्होने अभी मुझ सें मेरे बिल बनाने की एवज में रिश्वत के 11,500 रूपये प्राप्त कर अपनी पेन्ट की बायीं जेब में रख लिये हैं तथा 10,000 रूपये ओर मांग रहे है। इस पर परिवादी के बताये हुये व्यक्ति को मन पुलिस निरीक्षक ने अपना व टीम का परिचय देकर अपने आने का मन्तव्य बताया व उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री पवन राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी– खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड, बून्दी बताया। श्री पवन राठौर सें परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन सें लिये गये 11,500 रूपयों बाबत पूछा तो श्री पवन राठौर ने बताया कि शाहिद ने इसकी मर्जी सें ही मुझे रूपये दिये हैं मैने इससें कोई रूपयों की मांग नहीं की हैं। इसके द्वारा दिये गये रूपये मैने मेरी जेब में रख लिये हैं, इस पर आरोपी पवन राठौर को यथा स्थिती रखने के निर्देश दिये। श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक को श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियंता को डिटेन कर कार्यालय सहायक अभियंता में लाने हेतु जरिये मोबाईल निर्देश दिये। आरोपी पवन राठौर द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण करने की स्वीकारोक्ति की हैं, अतः हाथ धुलाई एवं बरामदगी की कार्यवाही की जानी हैं, यह स्थान आमरोड पर स्थित हैं जंहा भीड–भाड एकत्रित होने एवं कार्यवाही में व्यवधान उत्पन्न होने की संभावना के कारण आरोपी पवन राठौर को साथ लेकर मय हमराही जाब्ता मय गवाहान के प्राईवेट वाहन सें रवाना होकर समय 6.45 पर कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बून्दी पहुंचे। कार्यालय में रेवेन्यू इस्पेक्टर के कक्ष में बैठकर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री नरेश चौहान, पु.नि. मय जाब्ता मय डिटेनशुदा श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियंता के उपस्थित आये, जिन्होने बताया कि आरोपी राजेन्द्र कुमार सैनी चितौड रोड मारूति कम्पनी के सर्विस सेन्टर पर मिला, जिसे डिटेन कर हमरा लाए है, इस पर आरोपी राजेन्द्र कुमार सैनी को पृथक कमरे में डिटेन रखने के निर्देश दिये। रेवेन्यू इस्पेक्टर के कक्ष में रखी मटकी सें पानी लेकर दो कांच के गिलासों में पानी डलवाकर गिलासों में एक–एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डलवाया जाकर घोल तैयार करवाया गया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। आरोपी पवन राठौर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को एक गिलास के घोल में धुलवाया गया, तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क RH-1, RH-2 अंकित किया। इसके पश्चात बायें हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को दूसरे गिलास के घोल में धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया जिन्हे दो कांच की शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट कर मार्क LH-1, LH-2 से अंकित किया। श्री पवन राठौर के बायें व दाहिने हाथ का धोवन का रंग हल्का गुलाबी आया हैं, अतः स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चावडा सें श्री पवन राठौर की तलाशी लिवाई तो श्री पवन राठौर के पहनी हुई पेन्ट की बायीं जेब में पांच–पांच सौ रूपये के नोट मिले उक्त नोटों को स्वतंत्र गवाह सें गिनवाया गया तो भारतीय मुद्रा के पांच–पांच सौ रूपये के 23 नोट कुल 11,500 रूपये हैं, जिनके नम्बरों का मिलान गवाहान सें फर्द पेशकशी व दृष्टान्त में अंकित नम्बरों सें करवाया गया तो हूबहू मिलान हुआ, बरामद नोटों के नम्बरो का विवरण निम्न हैं–

क्र0स0	नोटों का प्रकार	नोटों के नम्बर
1.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 BK 039173
2.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 UQ 986881
3.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 BP 463348
4.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	2 ED 914437
5.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 EQ 948410
6.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 DA 060494

7.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 AC 067475
8.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 EL 113670
9.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 RR 103889
10.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	0 LE 392063
11.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 KH 231504
12.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 DW 947550
13.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 BU 655627
14.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	8 VB 248261
15.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	7 NT 477303
16.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 AK 810198
17.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 TU 630696
18.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	3 CV 550713
19.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	5 CS 980497
20.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	9 AE 278592
21.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	6 PL 767638
22.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 AF 292311
23.	पांच सौ रूपये का भारतीय मुद्रा का नोट	4 AF 292312

उक्त नोटों को कागज के एक पीले लिफाफे में रखकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये नोटों को बतौर वजह सबूत जब्त कर कब्जे एसीबी लिया तथा आरोपी की जामा तलाशी एक मोबाईल मिला जो सैमसंग कम्पनी का मॉडल–गैलेक्सी एम.12 बरंग नीला जिसके आईएमईआई नम्बर प्रथम– 35564451616885 जीओ कम्पनी की सीम मोबाईल नम्बर–8209236332, द्वितीय आईएमईआई नम्बर– 357542241616887 तथा वोडाफोन की सीम के मोबाईल नम्बर–9782054920 हैं। उक्त मोबाईल सें श्री पवन राठौर की परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन सें रिश्वत लेनदेन के लिए मिलने इत्यादि के संबन्ध में वार्ता हुई हैं, अतः उक्त मोबाईल के पीछे विवरण अंकित कर पीले रंग के लिफाफे में रखकर बतौर वजह सबूत जब्त किया गया, इसके अलावा आरोपी की जामा तलाशी में कोई वस्तु नहीं मिली।

इसके पश्चात एक कांच के साफ गिलास में पानी डालकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पावडर डालकर घोल तैयार किया तथा हाजरीन को दिखाया तो सभी ने घोल के रंग को रंगहीन होना बताया। श्री पवन राठौर सें उसकी पहनी हुई पेन्ट उतरवाकर दूसरी पेन्ट पहनने को दी गई तथा उतरवाई हुई पेन्ट की बायीं जेब को उलटवाकर कांच के गिलास में बने घोल में धोया तो धोवन का रंग गुलाबीहो गया, धोवन को दो कांच की साफ शीशियों में आधा–आधा भरवाया जाकर सील चिट करा मार्क P-1, P-2अंकित किया गया तथा पेन्टकी जेब को सुखाकर पेन्ट की जेब पर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाये तथा एक कपडे की थैली में सील्ड मोहर कर थैली पर मार्क P अंकित कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी पवन राठोर से परिवादी शाहिद हुसैन के कार्य से संबंधित पत्रावली एवं एमबी इत्यादी दस्तावेजात के बारे मे पुछा तो उसने सहायक अभियंता के कार्यालय मे ही होना बताया। परिवादी के कार्य बून्दी शहर में परकोटे के अन्दर HDPE 110MM/90MMपाईप लाईन जोडने एवं बिछाने तक रोड रिपेयरिंग कार्य सें संबन्धित दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति प्रेषित हेतु कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बून्दी को एक तहरीर जारी की गई। इसके बाद डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिश्वत राशि लेनदेन के समय रिकॉर्ड हुई वार्ता को मन पुलिस निरीक्षक ने सुना तो परिवादी द्वारा कहे गये कथनों एवं आरोपी द्वारा रिश्वत राशि ग्रहण किए जाने की पुष्टि हुई। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड वार्ताओं की ट्रांसक्रिप्ट पृथक सें तैयार की जावेगी। डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को सुरक्षित अपने पास रखा गया।

तत्पश्चात श्री नरेश चौहान पु.नि. द्वारा डिटेन कर लाये गये श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियंता को कक्ष में बुलाया गया तथा उससें उसका नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बून्दी बताया। श्री राजेन्द्र कुमार सैनी सें दिनांक 06.05.2022 को परिवादी सें रिश्वत के संबन्ध में हुई वार्ता के बारे में पूछा तो राजेन्द्र कुमार सैनी ने कहा कि मैने शाहिद हुसैन से इसके कार्य के संबन्ध में बात की थी, मैने इससें कोई रूपये आदि नहीं मांगे। इस पर परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुये कहा

,कि ये राजेन्द्र कुमार जी झूंठ बोल रहे हैं, इन्होने मुझ सें मेरे द्वारा पाईप लाईन बिछाने एवं अन्य किये गये कार्य के बिल पर हस्ताक्षर करने एवं बिल पास करवाने की एवज में मुझसें रिश्वत की मांग की थी, जिसके संबंध में दिनांक 06.05.2022 को जब इनसे कार्यालय के बाहर मिला, तो इन्होने मुझ सें मेरे बिल की राशि के एईएन की हैसियत सें 2 प्रतिशत के हिसाब सें पांच हजार रूपये की मांग की थी, इस पर आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी मौन रहा तथा कुछ नहीं बोला। इसके बाद आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी की जामा तलाशी स्वतंत्र गवाह श्री मुकेश चावडा सें लिवाई गई तो उसके पास एक मोबाईल सैमसंग कम्पनी का मॉडल गैलेक्सी एफ–62 बरंग हरा मिला, जिसको सुरक्षित रखवाया गया, इसके अलावा श्री राजेन्द्र कुमार सैनी की तलाशी में कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। आरोपीगण 1–श्री पवन राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी– खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड, बून्दी तथा 2–श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला का कृत्य धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स.. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया। फर्द बरामदगी नियमानुसार मुर्तिब की जाकर शामिल पत्रावली की गयी।

इसके पश्चात परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन व आरोपी श्री पवन राठौर के मध्य वक्त रिश्वती लेनदेन हुई वार्ता, जो कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हैं को श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 से परिवादी व दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष लेपटोप में लिवाई जाकर स्पीकर पर चलाकर उन्हे सुनाकर रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 सें तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। इसके पश्चात आरोपी श्री पवन राठौर के मोबाईल नम्बर 8209236332 से परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन के मोबाईल नम्बर 8209923562 पर हुई मोबाईल वार्ताऐं, जो परिवादी के मोबाईल मे कॉल रिकार्डर मे रिकार्ड की गयी है। उक्त मोबाईल वार्ताओं को परिवादी के मोबाईल से श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305 से लेपटॉप मे लिवाई जाकर स्पीकर पर चलाकर परिवादी व गवाहान को सुनाकर रिकॉर्ड वार्ताओं की फर्द ट्रांसक्रिप्ट मोबाईल वार्ताऐं श्री नरेन्द्र सिह कानि. 305 सें तैयार करवाई जाकर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई।

आरोपी श्री पवन राठौर हाल कनिष्ठ को परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन सें दिनांक 06. 05.2022 को रिश्वत मांग गोपनीय सत्यापन वार्ता, दिनांक 10.05.2022 को वक्त रिश्वती लेनदेन हुई वार्ता जो डिजीटल वाईस रिकार्डर मे रिकॉर्ड की गई थी एवं दिनांक 10.05.2022 को हुई मोबाईल वार्ताए का एफ.एस.एल. सें परीक्षण कराने हेतु नमुना आवाज नोटिस दिया गया तो उसने लिखित में दिया की में अपनी आवाज का नमुना स्वैच्छा सें नहीं देना चाहता, जिसें शामिल पत्रावली किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बूंदी की परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन सें दिनांक 06.05.2022 को गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, जो डिजीटल वाईस रिकार्डर रिकॉर्ड की गई थी, का एफ.एस.एल. सें परीक्षण कराने हेतु नमुना आवाज नोटिस दिया गया तो उसने लिखित में दिया की में मेरी आवाज का नमुना स्वैच्छा सें नहीं देना चाहता, जिसें शामिल पत्रावली किया गया।

इसके पश्चात आरोपी श्री पवन राठौर पुत्र सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 35 साल निवासी ग्राम खेडा रसूलपुर थाना कैथून जिला कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थय अभियांत्रिकी विभाग, खण्ड बूंदी जिला बूंदी को धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. मे जर्ये फर्द से गिरफ्तार किया गया। आरोपी श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी– सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बूंदी को धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. मे जर्ये फर्द गिरफ्तार किया गया। इसके पश्चात श्री हेमन्त सिह चालक कानि0 653 मय सरकारी बोलेरो के पूर्व का पाबन्दशुदा कार्यालय सहायक अभियन्ता पी0एच0ई0डी0 उपखण्ड बून्दी उपस्थित आया।

परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन व आरोपीगण श्री पवन राठौर कनिष्ठ अभियन्ता व श्री राजेन्द्र कुमार सैनी कनिष्ट अभियन्ता के मध्य दिनांक 06.05.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन, दिनांक 10.05.2022 को वक्त रिश्वत लेनदेन हुई वार्ता, जिन्हे डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड में रिकॉर्ड किया गया है। डिजीटल वाईस रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड को श्री नरेन्द्र

सिंह कानि. 305 के द्वारा लेपटॉप मे लगाकर मेमोरी कार्ड से रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता को लेपटॉप मे लिवाया गया तथा दिनांक 10.05.2022 को परिवादी शाहिद हुसैन व आरोपी पवन राठोर कनिष्ठ अभियंता के मध्य हुई चार मोबाईल वाताओं को परिवादी के मोबाईल वीवो कम्पनी मॉडल वीवो–9 बरंग काला से श्री नरेन्द्र सिंह कानि. 305 द्वारा लेपटॉप मे लिवाया गया। लेपटॉप के जर्ये उक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता, वक्त रिश्वत लेन–देन वार्ता तथा चार मोबाईल वार्ताओं को चार पेन ड्राईव Consistent USB 2.0 FLASH DRIVE 16 GB मे कॉपी कर, एक पेन ड्राईव मय कवर न्यायालय हेतु, दो पेन ड्राईव मय कवर आरोपीगण हेतु पृथक–पृथक कपडे की थेली मे रखकर सील्डमोहर किए तथा एक पेन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिए खुला रखा। डिजीटल वाईस रिकार्डर मे लगा हुआ मेमोरी कार्ड SanDisk ultra 32 GB निकालकर मय कवर न्यायालय हेतु कपडे की थेली मे रखकर सील्डमोहर किया। फर्द डंबिग नियमानुसार तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। श्रीमति वन्दना मीणा सहायक अभियन्ता पी0एच0ई0डी0 उपखण्ड बून्दी ने परिवादी द्वारा करवाये गये कार्य से संबंधित दस्तावेजो की प्रमाणित प्रतियां मय अग्रेषण पत्र के पेश की जिनको बाद अवलोकन शामिल पत्रावली किया गया।

समय 10.30 पी.एम. पर श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री योगेन्द्र सिह कानि0 282 व श्री मुकेश कुमार कानि0 71 को पृथक पृथक तहरीर देकर आरोपीगण पवन राठौर व राजेन्द्र कुमार सैनी का स्वास्थ्य परीक्षण एम.बी.एस. चिकित्सालय कोटा मे करवाकर, बाद स्वास्थ्य परीक्षण सुरक्षा की दृष्टि से थाना नयापुरा की हवालात मे रखने हेतु सरकारी बोलेरो मय चालक हेमन्त सिह के कोटा के लिये रवाना किया तथा मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान मय ट्रेप पार्टी के सदस्यो श्री दिलीप सिह व0सहा0, श्री भरत सिह कानि0 515, श्री नरेन्द्र सिह कानि0 305, श्री देवेन्द्र सिह कानि0 304 मय लेपटोप प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण, जब्तशुदा आर्टीकल्स रिश्वत राशि 11500/– रूपये पीले रंग के लिफाफे मे रखी हुई, छः धोवन की शीशीया आर0एच0 01, आर0एच0 02, एल0एच0 01, एल0एच0 02, पी0 01, पी0 02, पेन्ट का एक पैकिट मार्क पी, एक आरोपी पवन का मोबाईल पीले रंग के लिफाफे मे रखा हुआ तथा पेन डाईव के तीन सील्डशुदा कपडे की थेली, एक पेन ड्राईव खुला एवं मेमोरी कार्ड की सील्डशुदा कपडे की थेली के प्राईवेट वाहनो सें मय परिवादी श्री मो0 शाहिद हुसैन के रवाना होकर घटनास्थल पर पहुँचा तथा परिवादी एवं स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति मे घटना स्थल का नजरी निरीक्षण कर नक्शा मौका तैयार कर संबन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया। परिवादी श्री मोहम्मद शाहिद हुसैन को बाद कार्यवाही मौके से रूकसत किया गया। इसके पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वंतत्र गवाहान, मय जाप्ता मय लेपटोप प्रिन्टर ट्रेपबॉक्स मय ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरण, जब्तशुदा आर्टीकल्स के पृथक पृथक प्राईवेट वाहनो सें घटना स्थल से रवाना होकर एसीबी चौकी कोटा पहुँचा। जब्तशुदा आर्टीकल्स मालखाना प्रभारी श्री देवेन्द्र सिह कानि0 305 को दुरस्त हालत मे सम्भलाकर मालखाना मे जमा करवाये गयें। श्री नरेश चौहान पुलिस निरीक्षक मय श्री मनोज कुमार कानि0 211, श्री योगेन्द्र सिह कानि0 282 व श्री मुकेश कुमार कानि0 71 बाद मुल्जिमान का स्वास्थ्य परीक्षण करवाकर व उक्त आरोपीगण को पुलिस थाना नयापुरा में जमा कराकर प्राप्ति रसीद लेकर आये, रसीद को शामिल पत्रावली किया गया।

अब तक की समस्त कार्यवाही सें पाया गया हैं कि परिवादी मोहम्मद शाहिद हुसैन की फर्म के जरिये बून्दी शहर में परकोटे के अन्दर HDPE 110MM/90MMपाईप लाईन जोडने एवं बिछाने तक रोड रिपेयरिंग कार्य मय सामग्री का कार्य 4 लाख 80 हजार रूपये का 18.18 प्रतिशत बिलो में लिया था। जिसको परिवादी द्वारा पूर्ण कर लिये जाने पर किये गये कार्य की एवज में बिल बनाने हेतु परिवादी श्री पवन राठौर, कनिष्ठ अभियंता एवं श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, कनिष्ठ अभिंयता तत्कालीन अतिरिक्त चार्ज सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, उपखण्ड बून्दी से मिला तो श्री पवन राठौर ने 30,000 रूपये की तथा श्री राजेन्द्र कुमार सैनी ने बिल की राशि के 2 प्रतिशत के हिसाब सें रिश्वत की मांग करने तथा दिनांक 06.05.2022 को वक्त रिश्वत मांग सत्यापन परिवादी के प्रथम बिल करीबन दो लाख नैवासी हजार रूपये की 4 प्रतिशत के हिसाब सें 11,500 रूपये की श्री पवन कुमार द्वारा मांग करना तथा श्री राजेन्द्र कुमार सैनी द्वारा 2 प्रतिशत के हिसाब सें 5,000 रूपयों की मांग करने तथा दौराने ट्रेप कार्यवाही आरोपी श्री पवन राठौर द्वारा परिवादी मोहम्मद शाहिद हुसैन सें 11,500 रूपये अपने हाथ सें प्राप्त अपनी पहनी हुई पेन्ट की बायी जेब मे रखने, उक्त रिश्वती राशि 11,500 रूपये आरोपी श्री पवन राठौर की पेन्ट की जेब सें बरामद होने तथा आरोपी पवन राठौर के दोनो हाथों के धोवन का रंग

हल्का गुलाबी आने व पहनी हुई पेन्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने सें आरोपीगण 1—श्री पवन राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी— खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड, बून्दी तथा 2—श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी— सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बून्दी को धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होना पाया गया है।

अतः आरोपीगण 1—श्री पवन राठौर पुत्र श्री सुरेन्द्र राठौर जाति तेली उम्र 33 साल निवासी— खेडा रसूलपुर तहसील लाडपुरा कोटा हाल कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड, बून्दी तथा 2—श्री राजेन्द्र कुमार सैनी पुत्र श्री राधेश्याम सैनी जाति माली उम्र 29 साल निवासी— सिनेमा हॉल बॉटम लेवल कोलोनी, लाखेरी जिला बून्दी हाल कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 एंव 120 बी भा.द.स. में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर को वास्ते कमांकन प्रेषित है।

(अजीत बागडोलिया)
पुलिस निरीक्षक,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
कोटा

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री अजीत बागडोलिया, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) एवं 120बी भादंसं में आरोपीगण 1. श्री पवन राठौर, कनिष्ठ अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग उपखण्ड बून्दी एवं 2. श्री राजेन्द्र कुमार सैनी, कनिष्ठ अभियंता (उत्पादन) कार्यालय, सहायक अभियंता जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 179/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

11.5.2022

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर

क्रमांक 1584-88 दिनांक 11.5.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर।
4. पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर